



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 8 जून, 2020

ज्येष्ठ 18, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पंचायती राज अनुभाग-1

संख्या 784/33-1-2020-2099/2019

लखनऊ, 8 जून, 2020

अधिसूचना

प0आ10-108

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1947) की धारा 96-क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम सन् 1947 की धारा 27 के खण्ड 2 के अधीन ग्राम प्रधान से अधिभार-धनराशि का नियतन किए जाने सम्बन्धी समस्त शक्तियाँ, उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को और धारा 27 के खण्ड 3 के अधीन अधिभार-संग्रहण के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकार, समस्त मण्डलायुक्तों को उनकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्यायोजित करती हैं।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 784/XXXIII-1-2020-2099/2019 dated June 8, 2020 :

No. 784/XXXIII-1-2020-2099/2019

Dated Lucknow June 8, 2020

In exercise of the powers under section 96-A of the U.P. Panchayati Raj Act, 1947 (U.P. Act no. xxvi of 1947) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to delegate all powers regarding fixation of surcharge amount from Gram Pradhan to all District Magistrates in Uttar Pradesh under clause-2 of section-27 of the aforesaid Act of 1947 and appellate authority to all Divisional Commissioners against collection of surcharge under clause-3 of section 27 within their local jurisdiction.

By order,

MANOJ KUMAR SINGH,

Pramukh Sachiv.